



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकड़ा

दिनांक 27.06.2022

थाना कोतवाली खेकड़ा में दाखिल मुकदमाती व एम0वी0 एक्ट के कुल- 52 वाहनों (जिनकी कुल कीमत 04 लाख 57 हजार रुपये) की नीलामी के सम्बन्ध में।

कार्यवाही-

दिनांक 27.06.2022 को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार थाना खेकड़ा पर वर्ष 2019 से वर्ष 2020 तक के मुकदमाती व एम0वी0 एक्ट के वाहनों की नीलामी श्रीमान तहसीलदार खेकड़ा, श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय खेकड़ा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खेकड़ा की उपस्थिति में की गयी। उक्त नीलामी में जनपद बागपत व आस पास के जनपदों के कुल- 33 कबाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिसमें कुल- 52 वाहन (जिनकी कुल कीमत 04 लाख 57 हजार रुपये) चार पहिया/तीन पहिया/दो पहिया वाहनों की नीलामी की गयी।



थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 262/22 धारा 457/380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए, एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से मंदिर से चोरी किया हुआ एक दान पात्र मय 421/ रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.06.22 को थाना कोतवाली खेकडा पर वादी श्री भीष्म सागर पुत्र बिशन निवासी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ने सूचना दी कि सुबह जब आरती के लिये शिरोमणि रविदास मन्दिर गये तो मन्दिर का ताला टूटा हुआ था । अज्ञात चोर द्वारा सन्त रविदास की मूर्ति से 20 रुपये वाली माला व दान पात्र चोरी कर लिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली खेकडा पर मु0अ0सं0 262/22 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 262/22 धारा 457/380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से मंदिर से चोरी किया हुआ एक दान पात्र मय 421/ रुपये नगद बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-मनोज पुत्र भोपाल निवासी मौ0 विजयनगर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- मंदिर से चोरी किया हुआ एक दान पात्र मय 421/ रुपये नगदा (सम्बन्धित मु0अ0सं0 262/22 धारा 457/380 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- म0उ0नि0 श्रीमति बेबी ।
- 2-कां0 911 श्यामवीर ।

प्रेस नोट
थाना कोतवाली बडौत दिनांक 27.06.2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 430/22 धारा 147,148,504,506,325 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 430/22 धारा 147,148,504,506,325 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन से उपरोक्त अभियोग में धारा 352,354क,354ख का विलोपन किया गया तथा मैडिकल रिपोर्ट के आधार धारा 325 भादवि की बढोत्तरी की गई।



अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-सन्दीप पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना बडौत
- 2- का0 257 बलजीत सिंह थाना बडौत
- 3- का0 262 कवित कुमार थाना बडौत

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 649/22 धारा
452/427/323/504/354बी/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 649/22 धारा 452/427/323/504/354बी/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सोनू पुत्र सुरजे निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री हरिजेश कुमार कोतवाली बागपत।

2-का0 324 बेअन्त सिंह थाना कोतवाली बागपत।

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 409/22 धारा 147/148/307/504/326
भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.05.22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया एडवोकेट शहनाज द्वारा सूचना दी गई कि कस्बा टटीरी पेट्रोल पंप के पास अभियुक्त आरिफ, बौना, शहजाद, सरफराज, आजाद, मुजम्मिल व हारुण निवासीगण ग्राम डौला थाना कोतवाली बागपत द्वारा एक राय होकर वादिया के भाई शहजाद के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी डण्डों व धारदार हथियारों से जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 409/22 धारा 147/148/307/504/326 भादवि पंजिकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 409/22 धारा 147/148/307/504/326 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-शहजाद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री हरिजेश कुमार कोतवाली बागपत ।

2-का0 324 बेअन्त सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 118/22 धारा 147/148/308/427/504/506
भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.06.2022 को थाना चांदीनगर पर वादी चांद पुत्र रफीक ने सूचना दी कि अभियुक्त 1.शौकीन 2.मुनेश 3.पप्पल पुत्रगण बुलेहसन 4.साहिल पुत्र मुनेश 5.सम्मी उर्फ समीर पुत्र पप्पल 6.आसिफ पुत्र शौकीन समस्त निवासीगण ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर लाठी-डण्डे, सरिया, चाकू से लैस होकर वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली-गलौच कर, जान से मारने की नियत से हमला कर घायल कर दिया व घर में रखे कीमती सामान मो0सा0 आदि को तोडफोड कर नष्ट कर दिया एवं जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 118/2022 धारा 147/148/452/307/427/504/506 भादवि में पंजिकृत किया गया था । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग मे धारा 452/307 भादवि का विलोपन व धारा 308 भादवि की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 118/2022 धारा 147/148/308/427/504/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-मुनेश पुत्र गुलेहशन निवासी खट्टा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0- श्री मुनेन्द्र कुमार ।

2-का0- 833 राहुल कुमार ।

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 223/22 धारा 380/511/454 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण /कार्यवाही -

दिनांक 27-06-2022 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री सुमतवीर पुत्र फतेसिंह निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत व उसके साथी हर्ष पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त राहुल उर्फ हरबूल पुत्र जयपाल सिंह निवासी डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा वादी के घर में चोरी



करने की नीयत से प्रवेश किया, वादी के देखने पर अभियुक्त राहुल उर्फ हरबूल द्वारा भागने का प्रयास किया । वादी व जनता के लोगों द्वारा अभियुक्त राहुल उर्फ हरबूल उपरोक्त को पकडकर थाने लाया गया । थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा अभियुक्त राहुल उर्फ हरबूल पुत्र जयपाल सिंह निवासी डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 223/22 धारा 380/511/454 भादवि पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- राहुल उर्फ हरबूल पुत्र जयपाल सिंह निवासी डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- का0 779 भूपेन्द्र सिंह थाना सि0अहीर ।

2-का0 915 विवेक कुमार थाना सि0अहीर ।